(ख) उनके परिवारों के पृथक-पृथक कितनी तथा किस रूप में सहायता दी गई; और

(ग) घायल हुए कितने सुरक्षा सैनिकों को मैडिकल बोर्ड की सिफारिश पर सेवामुक्त किया गया है और उन्हें क्या सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पिछले दो वर्षों में सीमा सुरक्षा दल के 16 कर्मचारी कार्यवाहियों में मारे गए।

(ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

प्रतिनियुक्त कर्मचारी

3139. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में काम करने के लिये कितनें कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आये;

(ख) उनमें से कितने राजपत्रित तथा कितने अराजपत्रित कर्मचारी थे तथा उनकी राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) उनमें से कितने इस बीच वापस चले गये हैं तथा कितने कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ा दी गई है ;

(घ) क्या विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिये कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित की गई है; और

(ङ) क्या प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता केन्द्रीय दरों पर दिया जाता है अथवा राज्य की दरों पर ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(घ) राज्य सरकार के कर्मचारी सावधिक पदों (उदाहणार्थ उन स्थायी पदों पर जिन पर सरकारी कर्मचारी एक समिति अवधि से अधिक नहीं रह सकता) एवं अवधिरहित पदों पर केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में प्रतिनियुक्त किये जाते हैं। केन्द्रीय सचिवालय में निम्नलिखित सावधिक पदों के लिए निश्चित अवधि का समय उनमें से प्रत्येक के सामने दिया गया है :

(1) अवर सचिव, भारत सरकार—3 वर्ष।

(2) उप-सचिव, भारत सरकार—4 वर्ष।

(3) भारत सरकार में निदेशक, संयुक्त सचिव, तथा उसके समकक्ष एवं ऊंचे पद—5 वर्ष।

तथापि कुछ आपवादिक स्थितियों में, जहां जन हित की दृष्टि से आवश्यकता होता है, किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि उसी पद या किसी दूसरे पद का पदों की श्रेणी में उधार देने वाले प्रायधिकारियों की अनुमति से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन अन्य ऐसे सावधिक पदों की अवधि की सूचना एकत्रित की जा रही है जिन राज्य सरकार के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किय जाते हैं, और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अवधि रहित पदों में, राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़नी चाहिये, और सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिये। तथापि प्रतिनियुक्ति की अवधि उधार देने वाले प्राधिकारी की अनुमति से, यदि ऐसा करना जन हित की दृष्टि से आवश्यक है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

(ङ) राज्य सरकार के कर्मचारी जो केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं, राज्य सरकार के अधीन वेतन क्रम या केन्द्रीय सरकार के अधीन सम्बन्ध पदों के वेतन क्रम में से जिस में

भी वेतन ग्रहण करें उसके अनुसार राज्य सरकार के नियमों या केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को, चाहे तो वे संघ से सम्बन्धित या राज्य से सम्बन्धित कार्य में सेवा करते हैं, केन्द्रीय दरों पर महंगाई भत्ता दिया जाता है।

पाकिस्तानी जासूस

3140. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान काश्मीर में कितनें पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) उनमे से कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जा रहे हैं; और

(ग) कितने जासूसों के विरुद्ध मुकदमे नहीं चलाये गये हैं और उसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे 116 जासूस गिरफ्तार किये गये थे, जिनमें से 21 के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था। शेष 95 नजरबन्द हैं।

USE OF TEAR GAS ON DELHI STUDENTS

3141. SHRI K. RAMANI :
SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI SATYA NARAIN SINGH :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the police fired tear gas shells on the students of S.D. College, Dhaula Kuan Delhi on 6th November, 1967;

(b) if so, the reasons therefore;

(c) the total number of students injured due to tear gas burst;

(d) whether Government propose to enquire into the matter; and

(e) if so, when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) and (b). The Police had to use tear gas to disperse about 400-500 students who were indulging in indiscriminate pelting of stones.

(c) According to the medical reports, only one student was injured.

(d) and (e). A case under Sections 147, 148, 341, 427, 332 and 353 of the I.P.C. has been registered in connection with the incidents and is under investigation.

लाल किला, दिल्ली में 'सो-एट-लुमेर' कार्य-क्रम

3142. **श्री विभूति मिश्र** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लाल किले में 'सो-एट-लुमेर' दृश्य में 1857 के स्वतन्त्रता सेनानियों में नाना फरनवीस के नाम का उल्लेख किया गया था जब कि नाना साहिब धोंधुपन्त पेशवा के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिये था; और

(ख) यदि हां, तो इस गलती को कार्यक्रम में ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) एक विख्यात इतिहासकार द्वारा तैयार किये गये दृश्य के स्क्रिप्ट (लेख) में अनायास यह गलती हो गयी।

(ख) टेप में ध्वनि के साथ कहानी की प्रत्येक दृश्य श्रृंखला के लिये उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था को संचारित करने वाले प्रतिस्पंदन (पल्सेज) भी होते हैं। प्रकाश व्यवस्था को विच्छिन्न किये बिना टेप का कोई भी भाग काटा नहीं जा सकता; और ऐसा करने से